विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– २७ /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः–२१/०५/2026

वाद योजित तिथि –16.09.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 27/2026–27

श्री आदित्य भूषण सती ग्राम–डाडों पो0–ज्योर्तिमठ,..परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री आदित्य भूषण सती ग्राम–डाडों पो0–ज्योर्तिमठ, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 16.09.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का माह जनवरी 2024 में परिवादी का मीटर खराब होने के पश्चात् विभाग द्वारा नया मीटर लगाया गया था। किन्तु एक वर्ष उपरान्त 2025 में रू0 30000/ बकाया बताया गया। परिवादी द्वारा इस एक वर्ष में

सदस्य–विधि सदस्य–उपभोक्ता सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण उपभोक्ता शिकायत निवारण उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विभाग द्वारा जो बिल दिए गए उनका भुगतान परिवादी द्वारा नियमित रूप से किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 30.09.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी के विद्युत बिल संशोधित कर अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.12.2025 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच के सम्मुख जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अगली तिथि की मॉग की गई।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 एवं दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग परिवादी के संशोधित बिल की रिपोर्ट मय अभिलेखों सहित अगली सुनवाई की तिथि पर प्रस्तुत करें।
5. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच में परिवादी की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत किया गया कि परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है एवं परिवादी द्वारा अपने सम्पूर्ण विद्युत बिल का भुगतान भी कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का विपक्षी विभाग द्वारा समाधान कर परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है, एवं परिवादी द्वारा अपने सम्पूर्ण संशोधित विद्युत बिल की बकाया देय धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया है। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह	अर्जुन सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)	(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि	सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 28 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांकः–29/04/2026

वाद योजित तिथि –10.12.2025
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्धघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 47/2026–27

श्री नरेश देवली, ग्राम–सकण्ड पो0–खरसाई वाया गौचर ....परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.................................. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.................................. अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्धघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री नरेश देवली, ग्राम–सकण्ड पो0–खरसाई वाया गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 10.12.2025 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी को कई वर्षों से बिना मीटर रीडिंग के विद्युत बिल दिए जा रहे है,, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अवर अभियन्ता गौचर विभागीय प्रतिनिधि वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु अगली तिथि दिनांक 19.02.2026 को नियत हो।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया है कि विभाग मय फोटो सहित परिवादी की मीटर रीडिंग रिपोर्ट अगली सुनवाई तिथि दिनांक 18.04.2026 को प्रस्तुत करें।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार बिल प्रेषित कर दिया है, जिसका उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का विभाग द्वारा समाधान कर परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार बिल प्रेषित कर दिया है, जिसका उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह	अर्जुन सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)	(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL		सदस्य–उपभोक्ता

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 29 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 29/04/2026

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गैरसैंण।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 64/2026–27 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 64/2026–27 परिवादी श्री जय विक्रम सिंह कुंवर, ग्राम व पो0–कॉसुवा, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग।
3. परिवादी श्री जय विक्रम सिंह कुंवर, ग्राम व पो0–कॉसुवा, ।
4. फाइल नं0–64/उ.शि.नि.मं.कर्ण./2026–27।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता।
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 29 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः–29/04/2026

वाद योजित तिथि –23.01.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 64/2026–27

श्री जय विक्रम सिंह कुंवर, ग्राम व पो0–कॉसुवा, ...परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.................................... उपस्थित।

विपक्षी की ओर से.................................... अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री जय विक्रम सिंह कुंवर, ग्राम व पो0–कॉसुवा, वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 28.01.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी से अप्रैल 2023 से जून 2025 के बीच विभाग द्वारा अनियमित विद्युत रीडिंग ली गयी हैं, एवं परिवादी को 5–6 माह के लम्बे अन्तराल के आद मीटर रीडिंग की एकमुश्त खपत दिखाई गई है जिससे विद्युत बिल अत्यधिक दर से बनाया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 29 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः–29/04/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 19.02.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग द्वारा मंच के सम्मुख परिवादी के परिवाद से सम्बधित दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत किये गये। मंच द्वारा पत्रावली शामिल मिस्ल की गई।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच में परिवादी की कन्ज्यूमर हिस्ट्री एवं जवाब से परिवादी को अवगत किया गया जिससे परिवादी द्वारा सन्तुष्ट होकर परिवाद के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा मंच को अवगत किया गया कि माह मार्च में परिवादी द्वारा विद्युत बिल की बकाया धनराशि जमा की गई है किन्तु विभाग द्वारा परिवादी का नाम बकाया सूची में दर्शाया गया है, जिससे परिवादी की छवि धूमिल हो रही है उसे तुरन्त हटाया जाय, एवं शेष धनाराशि परिवादी जमा करने को तैयार है।

आदेश

4. मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है विभाग द्वारा परिवादी का नाम बकाया सूची में दर्शाया गया है, जिससे परिवादी की छवि धूमिल हो रही है उसे तत्काल हटाया जाय, एवं परिवादी को अवशेष बिल प्रेषित करें, तथा परिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी अपने विद्युत बिल की बकाया देय धनाराशि का भुगतान करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 30 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27,	दिनांक:– 29/04/2026

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गैरसैंण।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 68/2026–27 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 68/2026–27 परिवादी प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 क्वींठी पो–क्वींठी वाया गौचर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग।
3. परिवादी प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 क्वींठी पो–क्वींठी वाया गौचर,।
4. फाइल नं0–68/उ.शि.नि.मं.कर्ण./2026–27।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 30 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांकः–29/04/2026

वाद योजित तिथि –06.02.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 68/2026–27

प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 क्वींठी पो–क्वींठी वाया गौचर,..परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण...विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. उपस्थित।

विपक्षी की ओर से... अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 क्वींठी पो–क्वींठी वाया गौचर,, वि0वि0खण्ड गैंरसैंण द्वारा दिनांक 06.02.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी के विद्यालय में लगे विद्युत संयोजन में विभाग द्वारा वर्तमान तक कोई भी विद्युत बिल नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांक:– 30 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांक:–29/04/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने के उपरान्त परिवादी को आदेशित किया गया कि परिवादी विपक्षी विभाग में विद्युत संयोजन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित देय धनराशि जमा करें एवं परिवादी द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त विभाग तत्काल परिवादी का विद्युत संयोजन स्थापित करें।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए, आदेशित किया गया कि परिवादी विपक्षी विभाग में विद्युत संयोजन स्थापित करने की निर्धारित देय धनराशि जमा करें एवं परिवादी द्वारा निर्धारित धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त विभाग तत्काल परिवादी का विद्युत संयोजन स्थापित करें, तथा उपभोक्ता को नियमानुसार मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल निर्गत करें। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह	अर्जुन सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)	(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि	सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 31 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांक:– 29/04/2026

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 70/2026–27 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 70/2026–27 परिवादी श्री महिपाल सिंह, ग्राम व पो0–सवाड़, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड थराली।
3. परिवादी, श्री महिपाल सिंह, ग्राम व पो0–सवाड़।
4. फाइल नं0–70/उ.शि.नि.मं.कर्ण./2026–27।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 31 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 29/04/2026

वाद योजित तिथि –18.02.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 70/2026–27

श्री महिपाल सिंह, ग्राम व पो0–सवाड़..परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.. अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.. अधिशासी अभियन्ता नारायणबगड़।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री महिपाल सिंह, ग्राम व पो0–संवाड, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ द्वारा दिनांक 18.02.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 31 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 29/04/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी अनुपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 368/वि0वि0ख0नाब0/2026.27/दिनांक 18.04.2026 द्वारा उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर मंच को अवगत किया गया कि परिवादी का विद्युत संयोजन बी0पी0एल0 कैटेगिरी में एक किलोवाट का है, किन्तु परिवादी द्वारा उक्त संयोजन पर डेढ़ किलोवाट एवं 120 यूनिट प्रति बिलिंग साइकिल से अधिक का उपभोग किया जा रहा है, तथा परिवादी द्वारा अन्यत्र परिसर पर भी उक्त विद्युत संयोजन से विद्युत उपभोग किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आ रहा है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा एक ही विद्युत संयोजन से अन्यत्र परिसर पर भी विद्युत उपभोग किया जा रहा है जिससे उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया एवं विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किया जा रहा है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है। परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुबीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 32 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांक:– 29/04/2026

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर ।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 73/2026–27 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 73/2026–27 परिवादी श्री नरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल, ग्राम–हाट पो0–पीपलकोटी, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली।
3. परिवादी श्री नरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल, ग्राम–हाट पो0–पीपलकोटी।
4. फाइल नं0–73/उ.शि.नि.मं.कर्ण./2026–27।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 32 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27. दिनांकः– 29/04/2026

वाद योजित तिथि –21.02.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 73/2026–27

श्री नरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल, ग्राम–हाट पो0–पीपलकोटी,..परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर..विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से................................ उपस्थित।

विपक्षी की ओर से................................ उपखण्ड अधिकारी चमोली।

उद्घघोषित द्वारा :– श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री नरेन्द्र प्रसाद पोखरियाल, ग्राम–हाट पो0–पीपलकोटी, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 21.02.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–उपभोक्ता, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–तकनीकि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 32 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27,	दिनांक:– 29/04/2026

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, श्री आशीष चौधरी वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा परिवादी एवं विपक्षी विभाग की सहमति पर यह तय हुआ कि परिवादी अपने विद्युत बिल धनराशि मध्ये रू0 10,000 (दस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से जमा करेगा, एवं शेष बकाया धनराशि का चौथे माह में पूर्ण भुगतान करेगा।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकी
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 33 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 29/04/2026

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गैरसैंण।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 01/2026–27 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 01/2026–27 परिवादी श्री भरत सिंह पुत्र श्री मान सिंह, वार्ड न0–06 गौचर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से एक सप्ताह के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग।
3. परिवादी श्री भरत सिंह पुत्र श्री मान सिंह, वार्ड न0–06 गौचर ।
4. फाइल नं0–01/उ.शि.नि.मं.कर्ण./2026–27।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न)

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग.

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 33 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27,	दिनांकः–29/04/2026

वाद योजित तिथि –02.04.2026
अंतिम सुनवाई तिथि–18.04.2026
निर्णय उद्घघोषित तिथि– 18.04.2026

शिकायत संख्याः– 01/2026–27

श्री भरत सिंह वार्ड सं0–06, गौचर,..........परिवादी।

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण..........विपक्षी।

कोरम–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।
श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य।
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थितिः–

परिवादी की ओर से.......... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.......... अधिशासी अभियन्ता गैरसैंण।

उद्घघोषित द्वारा :–

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट–विधि सदस्य।

श्री रघुराज सिंह–तकनीकि सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट– उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन विच्छेदित करने के सन्दर्भ में है। श्री भरत सिंह पुत्र श्री मान सिंह, वार्ड न0–06 गौचर, वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 31.03.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता का विद्युत बिल रू0 8751 दिया गया था जिसमें से उपभोक्ता द्वारा रू0 4000 जमा कर दिया गया था किन्तु आधा बिल जमा करने के बावजूद भी विभाग द्वारा उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया हैं। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य–विधि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–उपभोक्ता, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL
सदस्य–तकनीकि, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 33 /उ0शि0नि0मं0कर्ण0/2026–27, दिनांकः– 29/04/2026

2. मंच द्वारा परिवादी के अनुरोध पर परिवादी का विद्युत संयोजन पुनः जोडने हेतु अन्तिम निर्णय पारित होने तक परिवादी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम आदेश पारित करते हुए विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी का विद्युत संयोजन तत्काल जोड़ दिया जाय।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड गैरसैंण उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन जोड़ दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा अपने सम्पूर्ण बकाया विद्युत बिल का भुगतान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान करते हुए विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत संयोजन जोड़ दिया गया है, एवं परिवादी द्वारा अपने सम्पूर्ण बकाया विद्युत बिल की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

रघुवीर सिंह बिष्ट	रघुराज सिंह	अर्जुन सिंह बिष्ट
(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)	(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि	सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL